



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 638/अका./सम्बद्धता/2021

रायपुर, दिनांक : 13/12/2021

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.12.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के अनुमोदनानुसार, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन, सेजबहार, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2021-22 से अस्थायी सम्बद्धता, सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.एस.सी. बायो. प्रथम वर्ष (नवीन कक्षा/विषय)	40	2021-22
2	बी.बी.ए.प्रथम(सीटवृद्धि) (पूर्व संचालित 40 सीट)	40	

शर्त :-

01. महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ17-32/2021/38-2 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जावे।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
06. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
08. जॉब प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
10. परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार
उप कुलसचिव (अका.)

रायपुर, दिनांक 13/12/2021

पृ. क्रमांक 639 अका./सम्बद्धता/2021
प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें।
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्षा अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 340 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2021

रायपुर, दिनांक : 10/10/2021
02/11/2021

॥ आदेश ॥

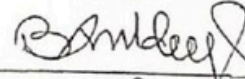
विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 07.08.2021 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2021 में अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2021-22 के लिए प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन, पो.आ.- सेजबहार जिला- रायपुर (छ.ग.) raipurssips@gmail.com	Non- Permanent Affiliation B.Sc.- Maths, Physics, Computer Sc. (Seat-40) B.Com.- Computer Application (Seat- 40) B.Com.- (Seat- 40) B.B.A.- (Seat- 40)

निर्देश:-

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित किया जावे।
3. महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
4. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।

आदेशानुसार,

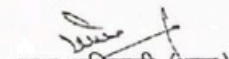

उप कुलसचिव (अका.)

पृ क्रमांक : 341 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2021

रायपुर, दिनांक : 10/10/2021
02/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. स.कु.स., परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा/गोपनीय/नामांकन विभाग/प्रभारी अधिकारी, प्रेस
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


कक्षा अधिकारी (अका.)